सुनाया फैसला | 28 साल पुराने विवाह का हुआ अंत, पति की अपील पर तलाक की डिक्री जारी

पति की बेरोजगारी पर ताने मारना मानसिक क्रूरता : कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद में पति की अपील को स्वीकार करते हुए 28 वर्ष पुराने विवाह को समाप्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति को कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार कहकर ताने देना और 2020 से बिना कारण अलग रहना मानसिक क्रूरता और स्वेच्छा से त्याग की श्रेणी में आता है।

बिलासपुर हाई कोर्ट।

पति, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि कोविड काल में पत्नी ने उन्हें बेरोजगार कहकर अपमानित किया और बेटी को लेकर 16 सितंबर 2020 को मायके चली गई। जाते समय पत्नी ने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि अब वह पति और बेटे से कोई संबंध नहीं रखेगी। हाई कोर्ट ने माना कि यह आचरण मानसिक क्रूरता है। फैमिली कोर्ट दुर्ग ने पहले तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे पलटते हुए हाई कोर्ट ने तलाक की डिक्री जारी कर दी। अदालत ने कहा कि अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है और विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।

प्राचार्य बनने के बाद बदला पत्नी का पति के प्रति व्यवहार

भिलाई निवासी अनिल सोनमनी पेशे से वकील हैं। उन्होंने 1996 में शादी की थी। 19 साल की एक बेटी और 16 साल का एक बेटा है। पति का आरोप था कि पत्नी ने पीएचडी कर प्राचार्य पद मिलने के बाद व्यवहार बदल लिया और विवाद बढ़ने लगे। कोविड महामारी के दौरान जब अदालतें बंद होने से आय ठप हो गई, तब पत्नी ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें बेरोजगार कहकर ताने दिए। 16 सितंबर 2020 को पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई और बेटे को छोड़ दिया। साथ ही एक पत्र भी छोड़ गई, जिसमें साफ लिखा था कि अब वह पति और बेटे से कोई संबंध नहीं रखेगी। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 2022 में उन्होंने तलाक की अर्जी दुर्ग फैमिली कोर्ट में दी, जिसे 25 अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया गया।

मामला खारिज होने पर पति पहुंचा हाई कोर्ट :फैमिली कोर्ट से मामला खारिज होने पर पति ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई में सामने आया कि पत्नी ने न तो फैमिली कोर्ट में कोई जवाब दिया और न ही हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया। अदालत ने माना कि पत्नी का छोड़ा हुआ पत्र यह साबित करता है कि उसने स्वेच्छा से अलग रहने का निर्णय लिया और पति की ओर से लगाए गए आरोप अप्रतिवादित रह गए।

बड़ी टिप्पणी कर सुनाया फैसला : जस्टिस रजनी दुबे और अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि फैमिली कोर्ट ने तथ्यों का गलत आकलन किया। इस कारण पति की अपील स्वीकार की जाती है और विवाह को तलाक की डिक्री के साथ समाप्त किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान पति की बेरोजगारी पर ताने देना मानसिक क्रूरता है।

16 सितंबर 2020 का पत्र साबित करता है कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि वह पति-पुत्र से कोई संबंध नहीं रखेगी। उसके द्वारा छोड़े गए पत्र से यह स्पष्ट था कि उसने स्वेच्छा से संबंध तोड़ने का निर्णय लिया था। पत्नी की अनुपस्थिति के कारण पति के आरोप एकतरफा रूप से सिद्ध हो गए। अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं। विवाह पूरी तरह टूट चुका है।